न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :डॉ. राजेष शर्मा, आई.ए.एस,

सूचना का अधिकार प्रथम अपील संख्या 01/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
प्रतिभा चौहान पुत्री बालमुकुन्द चौहान, निवासी–मकराणा मौहल्ला, राणावत की पोल, जोधपुर।		लोक सूचना अधिकारी अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

निर्णय

दिनांक अप्रेल, 2021

1. अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 22.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (संयुक्त निदेषक(□सांख्यिकी) सहित का दिनांक 6.2.2020 के उपस्थिती पंजिका (हाजरी रजिस्टर) की सत्यापित प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने बाबत निवेदन किया।

2. अपीलार्थीया ने यह कथन अंकित करते हुए यह प्रथम सूचना अपील प्रस्तुत की गई है कि उनके विभाग ने अपीलार्थीया की ओर से चाही गई सूचनाएं/दस्तावेज अविलम्ब एवं नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने एवं सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिये दोषियों के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही करावें। साथ ही अपीलार्थीया को सुनवाई का मौका दिया जावें।

3. अपीलार्थीया की अपील दर्ज कर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी तलब की गई जिसमें उनके द्वारा जरिये पत्रांक 03 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2021 प्राप्त

होने पर उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में कार्यालय हाजा की स्थापना शाखा से सूचनाएं मय टिप्पणी प्राप्त की गई जो 07 पृष्ठ की थी। तत्पष्चात प्रार्थीया को सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्यालय हाजा के पत्रांक सू0अ0/66/2020/152 दिनांक 12.02.2021 के द्वारा रजिस्टर्ड पत्र जारी करते हुए सूचना दी कि नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कर वांछित सूचनाएं प्राप्त करें। परन्तु प्रार्थीया को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र पर अपूर्ण पता की रिपोर्ट अंकित होकर प्राप्त हुआ।

4. प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यालय हाजा के लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर नियमानुसार नियत अवधि में अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की गई है उसमें किसी प्रकार से विलम्ब नहीं किया गया है अतः अपीलार्थीया की उक्त अपील आधारहीन और सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

5. हमने अपीलान्ट की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये दिनांक 21.01.2021 के उनके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में कार्यालय की स्थापना शाखा से कार्यालय हाजा के अधिकारियों/कर्मचारियों के उपस्थिति पंजिका/हाजरी रजिस्टर की प्रमाणित प्राप्त की जाकर अपीलार्थीया को जरिये पत्रांक 152 दिनांक 12.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड पत्र भिजवाते हुए सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा कराये जाने बाबत लिखा गया था परन्तु प्रार्थीया/अपीलार्थीया के प्रार्थना पत्र में दर्षाये गये व्यक्तिगत पते पर जारी पत्र/रजिस्टर्ड लिफाफा पर अपूर्ण पता अंकित होकर पुनः कार्यालय को प्राप्त हुआ। ऐसे में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की ओर से प्रार्थीया के उक्त सूचना प्राप्ति के आवेदन पर नियत समयावधि में कार्यवाही सम्पादित की गई है। ऐसे में अपीलार्थीया की अपील सारहीन एवं आधारहीन प्रतीत होती है। अतः अपीलार्थीया की अपील का इस स्तर पर निस्तारण किया जाता है। अपील निर्णय की प्रति अपीलार्थीया को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ. राजेष शर्मा)
डिवीजनल कमिष्नर,
जोधपुर